दी वा स 32/11 सी आई एस44/14

रेनू बनाम ओम प्रकाश गर्ग

07.02.2020

वकील वादी श्री एन के दोसी उपस्थित। वकील प्रतिवादी श्री जी के अग्रवाल उपस्थित।

प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 8 नियम 1(3) दी प्र स पर बहस सुनी गई थी ।

प्रतिवादी ने प्रार्थना पत्र में श्रीमती चन्द्रकान्ता से सम्पति खरीदने का विक्रय पत्र दिंनाक 23.04.2002 की प्रमाणित प्रति मय नक्शा को रेकर्ड पर लेना चाहा है इन दस्तावेजों को प्रकरण के निस्तारण के लिये आवश्यक बताया है।

इस प्रार्थना पत्र का वकील वादी ने जवाब पेश कर अभिलिखित किया है कि उक्त दस्तावेज का ज्ञान प्रतिवादीगण को पूर्व से था जिसको देरी से पेश करने का कोई समुचित कारण नहीं बताया है और प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया ।

बहस के दौरान विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर बल देते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया जिसका विरोध करते हुए विद्वान अधिवक्ता वादी ने प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन यिका ।

पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली अभी साक्ष्य प्रतिवादी की स्टेज पर चल रही है यदि इस दस्तावेज को रिकार्ड पर नहीं लिया तो प्रतिवादी अपना समुचित पक्ष नहीं रख पायेगा और प्रार्थना पत्र स्वीकार कर दस्तावेज को रेकर्ड पर लिया जाता है।

वादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 14(3) दी प्र सं पर बहस सुनी गई।

वादी ने अपने प्रार्थना पत्र में अभिलिखित किया है कि प्रतिवादी सं 2 के पक्ष में निष्पादित बेनामा के विक्रता श्याम सुन्दर से पुरानी किराये की रसीद बुक प्राप्त की है जिनकी फोटो प्रतियां रिकार्ड पर ली जावे साथ ही प्रतिवादी सं 1 के पूर्वाधिकारी श्री मगनलाल व श्रीमती गोविन्दी बाई वादिया के पूर्वाधिकारी व उनके परिवारजन इसी विवादित सम्पति की एक दुकान व उसके उपर की शेष छत में बतौर किरायेदार होकर काबिज हुए जिस हेतु अनुमति पत्र दिंनाक 03.02.1964 तथा किरायानामा दिंनाक 28.05.1977 का असल व डिक्री दिंनाक 28.07.

1977 की प्रमाणित प्रतिलिपि वादिया के पूर्वाधिकारी द्वारा दिनाक 01.08.2019 को उपलब्ध करवाया जो वादिया के आधिपत्य मे नहीं थी यह प्रकरण के समुचित न्याय निपटाने हेतु युक्ति युक्त है अतः रेकर्ड पर लिया जावे।

इस प्रार्थना पत्र का वकील प्रतिवादी ने जवाब पेश कर अभिलिखित किया कि वादी ने केवल मात्र असत्य तथ्यों के आधार पर प्रकरण में अनावश्यक रूप से उलझन पैदा करने के लिये प्रार्थन पत्र पेश किया है और प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया ।

बहस के दौरान विद्वान अधिवक्ता वादी ने प्रार्थन पत्र में वर्णित तथ्यों पर बल देते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया जिसका विरोध करते हुए अधिवक्ता प्रतिवादी ने प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया ।

पत्रावली का अवलोकन किया गया पत्रावली साक्ष्य प्रतिवादी में नियत है यदि इन दस्तावेज को रिकार्ड पर नहीं लिया तो वादी अपना समुचित पक्ष नहीं रख पायेगा और प्रार्थना पत्र स्वीकार कर दस्तावेज को रेकर्ड पर लिया जाता है।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य प्रतिवादी में दिनांक को पेश हो।